

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1699 / 2021

दिनांक 30.07.2021

श्रीमती निधि शर्मा-I (RJ0359), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 30.03.2021 से 09.04.2021 तक 11 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 10.04.2021 से 23.04.2021 तक 14 दिनों का अदेय अवकाश (LND) (चिकित्सा प्रमाण -पत्र के आधार पर)।

श्रीमती शर्मा-I की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/22/2016/ 4834

दिनांक 30.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 4745 दिनांक 29.06.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती निधि शर्मा-I (RJ0359), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक)।

सहायक रजिस्ट्रार